फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती अमरी बाई — **विपक्षी : बंशीलाल गमेती**

किस्म मुकदमा – 131,133 भू.राजस्व अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 59/25**

जीसीएमएस : 2025/213

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 24.06.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गई। तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम विकरणी की वर्तमान जमाबन्दी सर्वत् 2077–80 के खाता संख्या 311 में खसरा संख्या 152 रकबा 1.3274 हैक्टेयर किस्म बजड़ होकर खातेदार अमरीबाई पत्नि गणेशलाल हिस्सा 2793/13274, दोला पुत्र लोगरिया हिस्सा 4895/39822, धुलाराम पुत्र नारायण हिस्सा 2/15, नानीया पुत्र भेरा हिस्सा 4895/39822, बंशीलाल गमेती पुत्र मेधा गमेती हिस्सा 2/15, रोशन गमेती पुत्र तुलसीराम गमेती हिस्सा 2793/13274, सोवनीबाई पुत्री देवला हिस्सा 1/15 जाति भील के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मूल खसरा नम्बर 152 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा बिलानाम काबिल काश्त में से 8 बीघा 04 बिस्वा गैरखातेदारी के रूप में लोगरिया देवला, नानीया पिता भेरा जाति भील सा. देह के नाम मूल आवंटन कार्यालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर जिला उदयपुर के द्वारा दिनांक 24.01.1975 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत हुआ था। उक्त भूमि का आबादी के रूप में आराजी नम्बर 152 का शेष रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा किस्म बिलानाम काबिल काश्त से कार्यालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर जिला उदयपुर के द्वारा दिनांक 25.01.1975 को बिलानाम आबादी के रूप में आवंटित हुई थी। कार्यालय तहसीलदार मावली के आदेश क्रमाकः राजस्व/म.ग्रा.ग्रा.शि./2019/प्र.स./19/1858–62 दिनांक 22.08.2019 को बिलानाम आबादी से ग्राम पंचायत विजनवास के नाम दर्ज हुई। जिसके हाल खसरा नम्बर 1549/152 रकबा 0.4290 हैक्टेयर किस्म आबादी, जो कि ग्राम पंचायत विजनवास आबादी विस्तार हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। नामान्तरण की प्रति साथ सलंग्न है। कब्जा सुपुर्दगी सम्बन्धी पत्रावली कार्यालय पटवार हल्का विजनवास में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान नक्शे में मौजूद तरमीम का मौका देखा गया। जो कि मौके पर बसी आबादी अनुसार नहीं है। राजस्व ग्राम विकरणी के मूल आराजी नम्बर 1549/152 में लट्ठा नक्शा शीट (कपड़े वाला नक्शा) में उपरोक्त आवंटन सम्बन्धी मौजूद तरमीम का क्षेत्रफल एवं वर्तमान नक्शा शीट में दर्ज तरमीम का क्षेत्रफल उक्त आराजी के जमाबन्दी में दर्ज क्षेत्रफल से 0.1200 हैक्ट. अधिक एवं उक्त खातेदारी खसरा संख्या 152 के क्षेत्रफल में 0.1200 हैक्ट. भूमि कम है। क्षेत्रफल में जो भिन्नता आ रही है। उक्त क्षेत्रफल पर अर्थात् 0.1200 हैक्ट. भूमि प्राथीयान् खातेदारों के कब्जे में है। कब्जे के रूप में मौके पर पक्की चारदीवारी बनी हुई है। जिसको प्रस्तावित परिशिष्ठ द्वारा दर्शाया गया। वर्तमान में फर्म द्वारा प्राप्त नक्शा शीट अर्थात् बटर शीट में तरमीम मौजूद है। तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट के साथ पटवारी हल्का विजनवास की रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत की गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया व दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:33:16 IST
Reason: SelfAttested

पहुंचे है कि ग्राम विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 311 पर दर्ज आराजी नम्बर 152 रकबा 1.3274 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम पर दर्ज है। तहसीलदार घासा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 5 का मौके पर कब्जा सम्पूर्ण 1.3274 हैक्टेयर भूमि पर है। परन्तु नक्शे में 0.1200 हैक्टेयर भूमि कम है। जबकि आराजी नम्बर 1549/152 रकबा 0.4290 हैक्टेयर भूमि का नक्शे में रकबा 0.1200 हैक्टेयर अधिक है। तहसीलदार घासा द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि दोनो आराजीयात का रकबा नक्शे में 0.1200 हैक्टेयर भूमि कम ज्यादा है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि जमाबंदी में दर्ज आराजी का रकबा एवं नक्शा ट्रेस में रकबा भिन्न नही हो सकता है। जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार इस प्रकरण में वर्णित आराजीयात का रकबा जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस में भिन्न है। जिससे शुद्ध करना न्यायोचित पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में तहसीलदार घासा की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: **आदेश** :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 311 पर दर्ज आराजी नम्बर 152 रकबा 1.3274 हैक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 12:33:16 IST
Reason: SelfAttested